विषय : संयुक्त पंजाब द्वारा जारी किए गए अधिनियमों और नियमों में पंजाब के बजाय हरियाणा शब्द स्थानापन्न करना।

क्या वित्तायुक्त (राजस्व) और सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार उपरोक्त विषय पर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. निर्णय लिया गया है कि संयुक्त पंजाब द्वारा जारी किए गए ऐसे एक्टस जिनकी धाराएं 10 या इससे कम है उन में 'पंजाब' की बजाए हरियाणा शब्द स्थानापन्न किया जावे। इस संबंध में ऐसे एक्टस की सूची संलग्न है। सभी प्रशासकीय सचिवों से अनुरोध है कि वे सभी नियमों/अधिनियमों में जिन से उनका संबंध है तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही करें। और सुनिश्चित करलें कि सारी कार्यवाही विधान सभा के आगामी अधिवेशन के दौरान सम्पन्न हो जाए।

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

वित्तायुक्त (राजस्व) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा।

यू॰ओ॰: क्रमांक 8482-2जी एस-II/ दिनांक 31-12-73

Subject :— **Nationality domicile-Rule for appointment to various State Services or posts-Amendment of rule 4 of Modal Service-Rules (Revised 1972).**

Will the Financial Commissioner Revenue all Administrative Secretaries to Government Haryana, kindly refer to this Office U.O. No 4143-2GSII-73/16393 dated the 9th June, 1973 on the subject noted above ?

2. In the proviso of rule 4(I) and in rule 4(I)(2) of the Model Service Rules (revised 1972) circulated vide this office U.O. No. 3292-2GSII-72 dated 18-7-1972/3-8-72, whereas ever the words "Government of India" are appearing, the words "of Indian" should only be deleted and rest of provision should remains as it is.

Sd/-
Joint Secretary General Administration,
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

A copy is forwarded to :—

The Financial Commissioner Revenue, Haryana. All Administrative Secretaries, Haryana, All Heads of Department, Haryana. Commissioners Ambala and Hissar Divisions. All Deputy Commissioners, Haryana,

विषय : संयुक्त पंजाब द्वारा जारी किए गए अधिनियमों और नियमों में पंजाब के बजाए हरियाणा शब्द स्थानापन्न करना।

क्या वित्तायुक्त (र जस्व) और सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार उपरोक्त विषय पर इस विभाग के अशासकीय क्रमांक 8482-2 जी. एस.-II-73 दिनांक 31-12-73 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. संयुक्त पंजाब में जारी किए गए नियमों और अधिनियमों में 'पजाब' की बजाए "हरियाणा" शब्द स्थापित किया जाए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी विभागों को अनुरोध किया गया था कि वह अपने नियमों/अधिनियमों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही के बारे में तुरन्त कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि सारी कार्यवाही विधान सभा के आगामी अधिवेशन के दौरान खत्म हो जाए। पुराने एक्टस में से 'पंजाब' शब्द को बदलकर हरियाणा किए जाने की सूरत में विधि परामर्शदाता के अनुसार हमें नए एक्टस बनाने होंगे। चूंकि नए एक्टस बनाते समय वही सारा प्रोसीजर अपनाया जाना होगा जोकि किसी बिल्कुल नए कानून को बनाए जाने के बारे में अपनाया जाता है, कुछ विभागों ने यह प्रश्न उठाया कि इन एक्टस को रीएनक्ट करने के लिए "अबजैक्टस एण्ड रीजनस" के स्टेटमैंट में क्या कहाजाए। इस बात का सरकार ने निरीक्षण किया है और यह अनुभव किया है कि इस सम्बन्ध में निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं :–

(i) कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। उनसे सम्बन्धित ऐसे बिलों को केन्द्रीय सरकार से पहले clear कराना होगा अन्यथा नए एक्टस valid नहीं कहे जा सकेंगे।

(ii) कुछ ऐसे एक्टस होंगे जो होंगे तो हमारे अपनी पावर्ज के तहत परन्तु जिनमें कुछ थोड़ी बहुत amendments भी सुझाई गई होगी।

(iii) बहुत से एक्टस ऐसे होंगे जो in verbatim ही re-enact किए जायेंगे जैसेकि ऐसे एक्टस जो बहुत ही छोटे हैं अथवा बहुत ही clear व comperhensive हैं।

3. सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार करने के पश्चात् और इस बारे में विभागों की कठिनाईयों को देखते हुए uniformity के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है कि–

(क) objects एण्ड reasons की स्टेटमैंट में पहले तो विभाग वर्तमान एक्टस के original objects & reasons को ही यथोचित modification के साथ दे दें। फिर आखिरी पंक्ति में वे निम्नलिखित वाक्य लगा दें :

> "It has been deemed expedient to re-enact the measure on the subject in its application to the State of Haryana."

(ख) जो एक्टस concurrent lists के विषय होने के कारण केन्द्रीय सरकार को clearance के लिए भेजे जाने हैं उनके objects & reasons तो उनके objects & reasons के स्टेटमैंट में उपरोक्त बतलाई गई पद्धति के अनुसार ही लगा दिए जायें, परन्तु विभाग अलग से अपने forwarding letter में यह स्थिति स्पष्ट कर दें कि पंजाब पुर्नगठन के कारण इन एक्टस को हरियाणा में exclusively लागू किए जाने के उद्देश्य से इन्हें re-enact करना सरकार ने expedient समझा है।

(ग) यदि किसी एक्ट में कोई संशोधन भी किए जाने का उद्देश्य हो तो उस स्थिति में original objects & reasons को यथोचित modificat on के साथ बताने के बाद amendment का हवाला देते हुए अन्त में यह वाक्य लगा दिया जाये :–

> "In view of the proposed amendment it has been deemed expedient to re-enact the measure on the subject in its application to the State of Haryana."

4. मुख्य मंत्री ने देख दिया है
5. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

हस्ता/-
उप सचिव प्रशासनिक सुधार,
कृते मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।

इस की एक एक प्रति निम्न को सूचनार्थ भेजी जाती है :–